न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पर्वत सिंह चुण्डावत , आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 05/2022(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/18

अनवान्

1. श्री अब्दुल रहुफ पिता रज्जाक मोहम्मद पिंजारा निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
2. श्री मुवारिक हुसैन पिता हनीफ मोहम्मद पिंजारा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

.............प्रार्थीगण

वनाम

1. श्री सरीफ मोहम्मद पुत्र हनीफ मोहम्मद पिंजारा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
2. श्रीमती फिरसोस वानू पुत्री जुल्फिकार पिंजारा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
3. श्रीमती मुव्वशेरा वानू पुत्री जुल्फिकार पिंजारा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
4. श्री मोहम्मद रजा पिता जुल्फिकार पिंजारा जरियें प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती रजिया वानू पत्नि जुल्फिकार पिंजारा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
5. श्रीमती रजिया वानू पत्नि जुल्फिकार पिंजारा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
6. श्री राज्य सरकार जरिये तहासीलदार जी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांकः–26.09.2023

1. प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि मौजा भीण्डर, पटवार हल्का भीण्डर, भू–अभि.नि.क्षैत्र – भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.) में खाता नंवर नये 543 की आराजी नंवर 1241, 1243, 8491/1244 कुल किता 3 रकवा 1.2300 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 अब्दुल रउफ 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 मुबारिक हुसैन का 1/3 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 सरीफ मोहम्मद का 1/3 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 फिरसोस वानू का 1/24 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 मुव्वशेरा का 1/24 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 मोहम्मद रजा का 1/24 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 5 रजिया वानू का 1/24 हिस्सा राजस्व रकर्ड में अंकित है।

2. यह कि उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात राजस्व रेकर्ड में सयुंक्त खाते में दर्ज है लेकिन मौके पर उक्त भूमि का प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से [illegible]सी सहमति से मौखिक बंटवाडा कर अलग अलग काविज हो काश्त करते चले आ रहे है त[illegible] के पर अलग अलग पालियां पडी हुई है किन्तु उक्त भूमि का मिटस एवं बाउन्डरीस से विभाजन किया हुआ नहीं होने [illegible]र्थीगण की भूमि में विपक्षीगण उनके हक हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करने में बाधा उ[illegible] कर रहे है तथा आये दिन कभी प्रार्थीगणों की बाड तो कभी पैड तो कभी घास को नुकसान पहूंचाते है और मना करने पर प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.11.01 15:49:14 IST
Reason: SelfAttested

अब उक्त भूमि को संयुक्त नहीं रख विभाजन कराना चाहते है और वादग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बाण्ड्स से हिस्से अनुसार विभाजन कराना चाहते है।

3. यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपना हिस्सा हक अधिकार एवं आधिपत्य होकर प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है लेकिन विपक्षीगण 1 से 5 प्रार्थीगणों के हक अधिकारों को चुनौती देते हुए उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि अन्य लोगो को हस्तान्तरण करने की धमकिया दिये जाने से प्रार्थीगण को भय हो गया है कि विपक्षीगण वाद वर्णित जायदाद का बिना विभाजन कराये हस्तान्तरित कर देंगे जिससे प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरुद्ध ताफैसला मूलवाद आज ही इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराया जावे कि उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात से बिना विभाजन प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करने, काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें, दौराने वाद किसी दीगर व्यक्ति को रहन बेह बक्षीश आदि तरिकों से हस्तान्तरण नहीं करें, किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचावे एवं दौराने वाद विशेष हिस्से का उल्लेख करते हुए भूमि किसी को खुर्दबुर्द नहीं करें, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें, मौके एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया जिससे जवाब का अवसर बंद किया गया। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश करना नहीं चाहा। विपक्षी संख्या 2 से 5 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण 1 से 5 के मध्य मोखिक रूप से विभाजन कर रखा है ओर विपक्षी संख्या 2 से 5 के पिता पति श्री जुल्फीकार द्वारा अपने हक हिस्से एवं कब्जे में आयी भूमि पर एक निजी कुआ खोद रखा है जिसमें प्रार्थीगण अथवा विपक्षी संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है। इस कथन को प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष छिपाया है एक तरफ प्रार्थीगण मोके पर बंटवाडा होने का कथन कर रहे है वही दूसरी तरफ मिट्स एवं बाउन्डस का कथन कर रहे है ओर दोनो ही कथनो में विराधाभास है। जहां तक नुकसान पहुंचाने का सवाल है तो हम विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के हक हिस्से एवं कब्जे की भूमि में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं किया है। प्रार्थीगण ने इस कलम में झुठा कथन किया है।

3. यह कि उक्त आराजी रोड के समीप आ गयी है ओर सभी खातेदारों के हिस्से का निकास रोड की तरफ है। लेकिन विपक्षी संख्या 2 से 5 के पिता पति श्री जुल्फीकार के हिस्से एवं कब्जे में आयी भूमि एवं कुआ [illegible] प्रार्थीगण एकान्तिक कब्जा करने पर आमादा है जब कि इस कुए में प्रार्थीगण [illegible] का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है। [illegible] जुल्फीकार के हिस्से एवं कब्जे में आने के बाद जुल्फीकार ने इस कूए को करीब 10 [illegible] एवं कूए की मरम्मत करावायी जिसमें काफी धन खर्च किया है ओर कुआ खुदायी एवं मरम्मत में प्रार्थीगण अथवा अन्य किसी ने एक रूपया भी खर्च नहीं किया है। इस कूए से पहले जुल्फीकार जी पिलाई करते थे ओर उनके निधन के बाद हम विपक्षीगण पिलाई कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.11.01 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर

4. यह कि प्रार्थीगण भी इस भूमि के खातेदार है एवं हम विपक्षीगण भी इस भूमि के खातेदार है ओर एक खातेदार सहखातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करा सकता है क्यों कि हम विपक्षीगण हमारे हक हिस्से एवं कब्जे में आयी भूमि पर काबीज है ओर उपयोग उपभोग कर रहे है ओर प्रार्थीगण स्वंय ने इस कथन को अपने वाद में स्वीकार किया है कि भूमि का मोखिक रूप से विभाजन कर रखा है ऐसे में जब मोखिक रूप से विभाजन कर रखा है ओर मोके पर सभी खातेदार अलग अलग काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं हम विपक्षीगण के पिता पति श्री जुल्फीकार जी द्वारा अपने हिस्से एवं कब्जे की भूमि में की पिलाई कर रहे है। अतः विपक्षीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

5. हमने प्रकरण में उभयपक्ष की बहस को सुना प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्या को दोहराया अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया हमने विद्वानों की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की सामलाती खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से में दखलअंदाजी करने व प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि अन्य लोगो को विशेष हिस्से को हस्तान्तरित किये जाने की धमकिया दिये जाने से विपक्षीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है। विपक्षीगण द्वारा मौके पर मौखिक बंटवाडा होने एवं अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने व किसी प्रकार की दखलअंदाजी व किसी विशेष हिस्से को हस्तान्तरित नही किये जाने का कथन कहा गया है। वर्तमान मे प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की सामलाती भूमि होने से हर एक इंच पर हर एक खातेदार का अधिकार है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता है। प्रथम दृष्ट्या मामले उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. **अपूरणीय क्षति** :– प्रार्थनाग्रस्त भूमि सामलाती होने से उभय पक्षकारान को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्ट्या मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **सुविधा संतुलन** :– प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.11.01 15:49:14 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद में बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में अविभाजीत कृषि भूमि होकर प्रार्थीगण व विपक्षीगण के

मध्य सामलाती खातेदारी से दर्ज है जिससे प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार है जिससे उभय पक्षकारान को पावंद किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर, पटवार हल्का भीण्डर, भू–अभि.नि.क्षैत्र – भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.) में खाता नंबर नये 543 की आराजी नंबर 1241, 1243, 8491/1244 कुल किता 3 रकबा 1.2300 हैक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.11.01 15:49:14 IST
Reason: SelfAttested